

## आदेश

वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान एवं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु राज्य की निकायों में तकनीकी अधिकारियों के पदों की रिक्तता को दृष्टिगत रखते हुए उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग को उनके क्षेत्राधिकार की निकायों में सहायक अभियंतागण एवं कनिष्ठ अभियंतागण के रिक्त पदों पर समीपवर्ती निकाय में कार्यरत सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता को अतिरिक्त कार्यभार दिये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(द्वैश कुमार शर्मा)  
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक:- एस्टे/एम/एफ.10(TR-12)/आर.एम.(टी)/डीएलबी/20/5192-5802 दिनांक- 31/05/2022  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
4. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
5. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद्/पालिका समस्त राजस्थान।
6. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी नगर निगम/परिषद्/पालिका समस्त राजस्थान।
7. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, निदेशालय को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. सुरक्षित पत्रावली।

(राकेश कुमार)  
अतिरिक्त निदेशक